

मध्यप्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 73- 64/2009/20-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/06/2009

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल
प्रीत बिहार नई दिल्ली ।

विषय— अशासकीय शिक्षण संस्था प्रज्ञान इंग्लिश मिडियम को-एड स्कूल, हटारसी
होशंगाबाद, (म०प्र०) को सी.बी.एस.ई./आइ.सी.एस.ई. नई दिल्ली से
सम्बद्धता हेतु अनापत्ती प्रमाण-पत्र देने के संबंध में।

—000—

राज्य शासन द्वारा विषयांकित संस्था द्वारा आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के
आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई./आइ.सी.एस.ई. से सम्बद्धता हेतु गृह अनापत्ति
प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है—

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के
उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा समय-समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के
संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।
- (2) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा
उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा ।
- (3) शिक्षण संस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के
अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था
होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में
समय-समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को
करना होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी०बी० पडवार)

जवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग